न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 17/2023/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 10.01.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

दुलीचन्द्र आत्मज स्व० मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम किशनगंज तह0 किशनगज जिला बारा राज०
.....अपीलान्ट

बनाम

1. नीरज दत्तक पुत्र श्री घनश्याम जाति धाकड़ निवासी ग्राम किशनगंज, तहसील किशनगंज जिला बारां, राज0
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व० मांगीलाल जाति धाकड
3. पूरणमल पुत्र स्व० मांगीलाल जाति धाकड
4. जुगलकिशोर पुत्र स्व० मांगीलाल जाति धाकड
5. द्वारक्या बाई पुत्री स्व० मांगीलाल जाति धाकड
   निवासीगण ग्राम किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां राज०
6. कमलेश बाई पुत्री स्व० मांगीलाल जाति धाकड
7. जगन्नाथी बाई पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारा राज
8. सरपंच ग्राम पंचायत कांकडदा किशनगंज जिला बारां राज०

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार नन्दवाना, अभिभाषक –अपीलांट
श्री हरिओम चतुर्वेदी, अभिभाषक– रेस्पो0 क्र. 1
श्री हेमराज मीणा, अभिभाषक– रेस्पो0 क्र. 2 लगायत 7

::निर्णय::

दिनांक 26.08.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या 286/2021 बउनवान नीरज बनाम दुलीचंद वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2022 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

26/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र.1 नीरज के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के समक्ष ग्राम पंचायत कांकडदा तहसील किशनगंज के द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 20.09.2021 ग्राम लालापुरा एवं नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 20.09.2021 ग्राम अमलावदा के विरूद्ध अपील पेश की जाकर उक्त नामांतरकरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आशय की अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 20.09. 2021 एवं नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 20.09.2021 को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 12.09.2022 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 12.09.2022 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील कानून एवं न्याय के सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की अनदेखी करते हुऐ उक्त निर्णय पारित किया गया है, क्योकि नामान्तरकरण प्रकिया एक सरसरी प्रकिया एवं संक्षिप्त प्रक्रिया होती है, जिसमे किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नही किये जा सकते। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 क्र. 1 के मौखिक साक्ष्य एवं राशन कार्ड एवं भामाशाह कार्ड के आधार पर ही मृतक घनश्याम का उत्तराधिकारी मान लिया गया है, जो कि विधि विरूद्ध है। क्योकि कानूनन उत्तराधिकारी सक्षम न्यायालय की घोषणा के आधार पर मान सकता है। जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है तथा अपीलान्ट के द्वारा समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी एवं कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बावजुद भी रेस्पो0 सं0–1 की अपील स्वीकार कर उक्त नामान्तरण को निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर अपना ध्यान आकर्षित नही किया गया कि घोषणा से सम्बन्धित वाद उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा नामान्तकरण प्रक्रिया में किसी के भी उत्तराधिकारी के सम्बन्धित विवाद तय नही किया जा सकते। इसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम–1 की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत काकडदा तहसील किशनगंज के द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। जो कि नामान्तरण विरासत के

आधार पर खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक घनश्याम के वारिसान के रूप में दत्तक पुत्र नीरज की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट क्रम–1 के द्वारा गोद से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त निर्णय पारित कर दिया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज का निर्णय दिनांक 12.09.2022 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 क्र. 1 नीरज द्वारा दत्तक पुत्र बनकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल दस्तावेजों में नाम दर्ज होने से रेस्पो0 क्र.1 को घनश्याम का दत्तक पुत्र माना है, जबकि दत्तक की घोषणा हेतु सिविल न्यायालय में दावा करना आवश्यक है। माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा दत्तक होने का प्रश्न तय होना हैं। अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया गया था कि रेस्पो0 क्र.1 के द्वारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर अपील प्रस्तुत की है तथा जिसके द्वारा दत्तक पुत्र की घोषणा चाही गई है, जो इस न्यायालय के द्वारा तय नहीं किया जा सकता। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार एवं विवेचन किये ही अपीलांट का उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 15.06.2022 से खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण को निरस्त करते हुए तहसीलदार किशनगंज को रिमाण्ड किये जाने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.09.2022 को निर्णय पारित किया गया है, वह सभी पक्षकारान

26/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

की सुनवाई के उपरांत ही पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर रेस्पो0 क्र.1 नीरज को दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, उन संपूर्ण दस्तावेजों में घनश्याम का पुत्र होना अंकित हैं तथा बैंक डायरी में ही रेस्पो0 क्र.1 को वारिस बताया गया है। प्रश्नगत आराजी पर रेस्पो0 क्र. 1 काबिज हैं तथा प्रकरण में नामांतरकरण संपूर्ण जांच की पश्चात ही खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्र.1 नीरज के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के समक्ष ग्राम पंचायत कांकडदा तहसील किशनगंज के द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 20.09.2021 ग्राम लालापुरा एवं नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 20.09.2021 ग्राम अमलावदा के विरूद्ध अपील पेश की जाकर उक्त नामांतरकरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आशय की अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 20.09.2021 एवं नामांतरकरण संख्या 19 दिनांक 20.09.2021 को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 12.09.2022 पारित करते हुए तदनुसार जायज वारिसान की जांच कर नामांतरकरण तस्दीक किये जाने का तहसीलदार किशनगंज को आदेशित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल दस्तावेजों में नाम दर्ज होने से रेस्पो0 क्र.1 को घनश्याम का दत्तक पुत्र माना है, जबकि दत्तक की घोषणा हेतु सिविल न्यायालय में दावा करना आवश्यक है। इसके विपरित रेस्पो0 क्र. 1 विद्वान अभिभषाक का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.09.2022 को निर्णय पारित किया गया है, वह सभी पक्षकारान की सुनवाई के उपरांत ही पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर रेस्पो0 क्र.1 नीरज को दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, उन संपूर्ण दस्तावेजों में घनश्याम का पुत्र होना अंकित हैं तथा बैंक डायरी में ही रेस्पो0 क्र.1 को वारिस बताया गया है। प्रश्नगत आराजी पर रेस्पो0 क्र. 1 काबिज हैं तथा प्रकरण में नामांतरकरण संपूर्ण जांच की पश्चात ही खोला गया है।

अति. वि. आयुक्त
कोटा

7. उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजों में नीरज के पिता घनश्याम नागर दर्ज होने एवं रेस्पो0 2 लगायत 7 द्वारा घनश्याम एवं सीता का पुत्र स्वीकार करने से रेस्पो0 क्र.1 नीरज के पक्ष में निर्णय दिया गया जिसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। शैक्षणिक दस्तावेजों, राशनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों पर तब तक संदेह प्रकट नहीं किया जा सकता जब तक अन्यथा साबित नहीं किया जावे। अपीलांट द्वारा अपील मीमो के समर्थन एवं स्वयं के कथनों के पक्ष में एवं साक्ष्य स्वरूप कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे अपील मीमो के तथ्यों की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रकट नहीं होती है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

26/8/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा